फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

बद्रीनारायण बनाम कालूराम उर्फ नानगराम

30 /2022

ाज्ञा ाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	आदेश दिनांक 07/10/2024 को पेश हो।	
7/10/24	पत्रावली पेश हुई/P.O. साहब दौरे/अन्य कार्य वकुलाय द्वारा कार्य बहिष्कार रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली आगामी दिनांक 08/10/24 ......को पेश हो।	
5/10/24	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर पूर्व मे बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि प्रार्थी की कब्जे एवं खातेदारी की भूमि खसरा नं. 315/1, 315/2, 505/315, 506/315 स्थित ग्राम काशीपुरा प.ह. काशीपुरा तह. तूंगा जि. जयपुर में है अप्रार्थीगण का	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रार्थी की कब्जे एवं खातेदारी की भूमि है व खाते मे हो रखे पुख्ता निर्माण से कानूनन कोई संबंध व सरोकार नही है। अप्रार्थीगण उपरोक्त भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी बेदखल करने पर आमादा है एवं उपयोग उपभोग करने मे बाधा डाल रहे है जिसका अप्रार्थीगण को कानूनन कोई हक व अधिकार प्राप्त नही है। दिनांक 2.3.2022 को अप्रार्थीगण एकराय होकर प्रार्थी की कब्जे व खातेदारी की व पुख्ता निर्माण हो रखी भूमि पर जबरन कब्जा करने लगे एवं प्रार्थी को जबरन बेदखल करने लगे इस कारण प्रार्थी को अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना आवश्यक हुआ है अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण को नाफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी की कब्जे

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

बद्रीनारायण बनाम कानूराम उर्फ नानगराम

/ वर्ष : 30 /20 22

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	व खातेदारी की भूमि को प्रार्थी को उपयोग उपभोग करने मे बाधा नही डाले, न ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करे न ही पुख्ता निर्माण करे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। अप्रार्थी सं. 1 लगा 3 के अधिवक्ता ने जवाबी बहस मे अपने जवाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का यह कथन सरासर गलत है कि अप्रार्थी प्रार्थी की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे बेदखल करने पर आमादा है एवं प्रार्थी के उपयोग उपभोग मे बाधा डाल रहे है। बाल्कि सत्य बात यह है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा न. 313/1 की उत्तरी सीमा से लगता खसरा न. 217 गै.मु. आबादी है उक्त आबादी भूमि खसरा न. 312	

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		लक्ष्मणदास स्वामी को ग्राम पंचाय काशीपुरा द्वारा दिनांक 17.11.199 को 200 रु. बजार दर से $111\frac{1}{9}$ का भूमि का पट्टा जारी किया जिसकी सीमाओ के अनुसार पूर्व मे खातेदारी की भूमि पश्चिम मे कच्च सार्वजनिक रास्ता उत्तर मे रामदास का बाड़ा, दक्षिण मे बदरी नाई की खातेदारी भूमि है उक्त पट्टेशुदा भूमि को मिन अप्रार्थी के पिता हरसहाय ने 30.11.2011 को 35,000 रूपये मे क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। उक्त क्रयशुदा भूखण्ड पर मिन अप्रार्थी ने करीब 6-7 साल पहले दो दुकाने व जीने का निर्माण प्रार्थी की भूमि खसरा न. 315/1 की सीमा के पश्चात 3 1/2 फीट की गली हवा पानी व रोशनी के लिए छोडते हुए करा लिया था। मिन अप्रार्थी निर्मित दुकानो मे बिजली का कनेक्शन भी निर्माण के साथ ही लगवा लिया तथा उक्त दुकानो मे मिन अप्रार्थी टेन्ट हाउस का व्यवसाय करता चला आ रहा है।

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर ग्रामीण।

बद्रीनारायण बनाम कालूराम उर्फ नानगराम

संख्या / वर्ष : 30 / 2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रार्थी व भिन्न अप्रार्थी के पिता हरसहाय व प्रेमचन्द के मध्य शामलाती भूमि का विभाजन हो चुका है अप्रार्थी के पिता हरसहाय को विभाजन मे मिली भूमि मे करीब 150 वर्गगज मे पारिवारिक देवता का चबुतरा बना हुआ है प्रार्थी भिन्न अप्रार्थी के पिता द्वारा आबादी भूमि को क्रय करने एवं उसमे अप्रार्थी ने दुकानो का निर्माण कार्य कराकर व्यवसाय करने के कारण व रंजिश रखने के कारण नाजायज रूप से हैरान व परेशान करने की गरज से यह झूंठ मुकदमा दायर किया है। प्रार्थी ने दिनांक 2.3.2022 का वाकया सरासर गलत व बनावटी वर्णित किया है जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा का	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि. जय
बद्रीनारायण बनाम कालूराम उर्फ न
मुकदमा संख्या/वर्ष : 30 /202

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		दुरुपयोग कर मिन अप्रार्थी की आबादी भूमि ख. नः 217 में निर्मित दुकानो मे टैन्ट व्यवसाय मे दखल करना चाहता है जिसका उसे कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नही है। अतः जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। उभयपक्ष अधिवक्ता की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस जाहिर तथ्यों पर बगौर मनन करने के उपरान्त हम पाते है कि अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के स्वामित्व की भूमि से लगता हुआ खसरा न. 217 गै. मु. आबादी

फर्द अहकाम

सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर ग्रामीण

बद्रीनारायण बनाम कालूराम उर्फ नानगराम

ख्या / वर्ष : 30 /2022

नांक आज्ञा कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	है एवं दोनो के मध्य 3.5 फीट की गली छोडी हुई है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे यह भी स्पष्ट नही किया है कि प्रार्थी की खातेदारी से लगती हुई भूमि गै.मू. आबादी है या खातेदारी भूमि है नां ही पत्रावली मे ऐसा कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किया जिससे यह स्पष्ट होता हो कि प्रार्थी की भूमि पर अप्रार्थी अतिक्रमण कर रहा हो या दखल उत्पन्न कर रहा हो। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने के आवश्यक तत्व प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनो ही प्रार्थी के पक्ष मे साबित नही होते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा	

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जि. जयपुर

बद्रीनारायण बनाम कालूराम उर्फ

मुकदमा संख्या/वर्ष : 30 /202

क्र०स०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		का स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल जुमार होकर दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 04|10|2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। सहायक कलेक्टर बस्सी जिला – जयपुर ग्रामीण